


**:: आदेश ::**

प्रधान कार्यालय के आदेशांक 16614/स्थापना/2017-18 दिनांक 31.10.2017 द्वारा बैंक के व्यवसाय में भी लगातार गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 31.03.2018 तक बिना प्रबन्ध निदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त किये किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे तथा शाखा के अन्य कार्मिक भी सम्बन्धित मण्डल पर्यवेक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही समस्त अवकाश का उपभोग करेंगे।

उक्त आदेश को अग्रेतर दिनांक 30.06.2018 तक लागू किया जाता है।

  
(के० पी० सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

**उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।**

आदेशांक: 14426 /स्थापना/2017-18 दिनांक : 12.04.18

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—समस्त शाखा प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०।
- 2—समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
- 3—समस्त पटल सहायक(स्थापना अनुभाग), प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- 4—उप महाप्रबन्धक(आई०टी०सेल), प्रधान कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

  
प्रबन्ध निदेशक